सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
अग्रहायण 27, बुधवार, *शाके* 1941–दिसम्बर 18, 2019 *Agrahayana 27, Wednesday, Saka 1941–December 18, 2019*	

भाग 7
विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिये टेन्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन।

राजस्थान राज्य विध्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

कार्यालय मुख्या अभियंता (प्र. व. नि.) राजस्थान राज्य विध्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जोधपुर

अधिसूचना

जोधपुर, अक्टूबर 22, 2019

संख्या 2066 :-ऊर्जा विभाग, सरकार द्वारा जारी दिनांक 03.10.17 की अधिसूचना के अनुपालन में। राजस्थान के जयपुर, जो राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, दिनांक 09.10.17 सेक. के तहत। विद्युत अधिनियम-2003 की 164 के साथ-साथ भारतीय टेलीग्राफी अधिनियम, 1885 (1885 कार्केंद्रीयअधिनियम 13) के प्रावधानों के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण की शक्तियां, राजस्थान मुख्य अभियंता, प्रसारण निगम लिमिटेड के जोधपुर के मुख्य अभियंता (टीएंडसी) को दी गई हैं। (राज्य पारेषण उपयोगिता) बिजली के संचरण के लिए बिजली के लाइनों / बिजली के संयंत्रों के निर्माण के लिए या काम के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफक संचार के उद्देश्य से। अत: उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधोहस्ताक्षरी ने **132के.वी. डी/सी ट्रांसमिशन लाइन 132के.वी जी.एस.एस. जैतारण से M/s. अल्ट्रा –टेक सीमेंट प्लांट (बलरा)** के निर्माण के अधिकार के अनुमोदन को मंजूरी दे दी है। बिजली की आपूर्ति के लिए। उक्त रेखा निम्नलिखित गांवों के सीमा / राजस्व क्षेत्र के भीतर से गुजरेगी :-

क्रमांक	गावोंकेनाम	क्रमांक	गावोंकेनाम
1	जैतारण	11	मोराई
2	भाकरवास	12	डग्ला
3	झाझुण्डा	13	आसरलाई
4	फुलमाल	14	लासानी
5	सांगावास	15	निम्बराखुर्द
6	निमाज	16	विजयगारा
7	खिनावड़ी	17	तुनकरा
8	खेरामहाराजपुर	18	बलारा

9	बीरमपुरी	19	ग्यास
10	मुंडवा		

ज़िला कलेक्टर पाली :- श्री दिनेश चंद जैन

बी. पी. चौहान,
मुख्य अभियंता (प्र. व. नि.),
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जोधपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।